उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या- 6/2019 /312/सत्रह-म-2019-6-9(333)/2016 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 07 मार्च, 2019

<u>शुद्धि-पत्र</u>

ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के 353 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 423.60 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-4/2019/298/ सत्रह-म- 2019-6-9(333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक 01 मार्च, 2019 के ''विषय'' शीर्षक में 2018-19 के स्थान पर टंकक त्रुटिवश वर्ष 2019-20 अंकित हो गया है और शासनादेश के पृष्ठांकन में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ लिखने से छूट गया है।

2- अत: शासनादेश संख्या-4/2019/298/ सत्रह-म-2019-6-9 (333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक 01 मार्च, 2019 के ''विषय'' में अंकित वर्ष 2019-20 के स्थान पर वर्ष 2018-19 पढा जाय तथा शासनादेश के पृष्ठांकन में क्रमांक- 7 के नीचे क्रमांक- 8 पर '' मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ'' पढा जाय।

3- शासनादेश संख्या-4/2019/298/ सत्रह-म-2019-6-9 (333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक 01 मार्च, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्ते व प्राविधान यथावत रहेंगे।

(कृपा शंकर यादव)

अनुसचिव।

<u>संख्या: 6/2019 /312 (1)/ सत्रह -म-2019,तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 -महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- निदेशक मत्स्य,उ0प्र0लखनऊ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

5- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- सम्बंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 /नियोजन अनु0-3

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृपा शंकर यादव)

अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com